

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 24.05.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना रूरा पुलिस द्वारा अ0सं0-374/20 धारा 323/504/506 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र उजागर उम्र 42 वर्ष निवासी बेनीगाँव थाना रूरा जनपद कानपुर देहात (वारण्टी) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रूरा पुलिस द्वारा अ0सं0-155/26 धारा 305ए/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. सोनू उर्फ भोला पुत्र बलराम राजपूत व 2. अखिलेश उर्फ छोटू पुत्र राजू गौतम निवासीगण कडरी थाना शिवली जनपद कानपुर देहात (वाँछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अ0सं0-609/12 धारा 279/304 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त संदीप तिवारी उर्फ भीम पुत्र कृष्ण मुरारी निवासी ग्राम गौर थाना भोगनीपुर जनपद कानुर देहात (वारण्टी) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियुक्त अतुल सिंह यादव उर्फ रोहित सिंह पुत्र गोविंद सिंह निवासी गंगरौली थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 30 वर्ष के कब्जे से 30 अदद नाजायज क्वार्टर देशी शराब मार्का मस्तीह ब्राण्ड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 128/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रूरा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. पंकज पुत्र महेश राठौर निवासी अम्बरपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात, 2. अंगद सिंह उर्फ मटरू पुत्र कल्लू सिंह निवासी ग्राम अम्बरपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात, 3. रोहित यादव पुत्र बाबूराम निवासी रामपुर डगराह थाना रूरा जनपद कानपुर देहात, 4. विश्वजीत पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी सराय गढेवा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात व 5. पप्पू उर्फ बृजभूषण सिंह सेंगर पुत्र अर्जुन सिंह निवासी सरवा टप्पा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात,के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ताश पत्तो से हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 154/26 धारा- 13 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक जुआ अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 20 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रूरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 07 व्यक्तियों व थाना शिवली पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।